

CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED, RAIPUR
(A Government of Chhattisgarh Undertaking) (A Successor Company of CSEB)

PUBLIC NOTICE

In compliance with the provisions of the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for determination of tariff according to Multi-Year Tariff principles and Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from Tariff and Charges) Regulations, 2021, Chhattisgarh State Power Transmission Company Limited (CSPTCL) has submitted petition (No-05 of 2022) for approval of Capital Investment Plan for FY 2022-23 to FY 2024-25. The year-wise estimated Capital Expenditure proposed by CSPTCL under this Capital Investment Plan is as given below:-

S. No.	Particulars	Scheme Provision	FY 22	FY 23	FY 24	FY 25
1	Spill Over work	2873.79	228.70	897.48	654.52	145.90
2	New ND work	3805.94	2.00	963.50	1674.43	1096.71
3	TOTAL	6679.73	230.70	1860.98	2328.95	1242.61

Copies of the petition are available at Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur and at the office of the Chief Engineer(C&RA),CSPTCL, Danganiya, Raipur which can be purchased on any working day on payment of Rs.150/-& may also be obtained by post on payment of additional charge of Rs.50/-. Copies of petition are also available at website www.csptcl.co.in and www.cserc.gov.in.

Persons intending to file objections/suggestions relating to the Capital Investment Plan of CSPTCL may send the copies of objections / suggestions with documents and evidence in support thereof directly to the Chief Engineer(C&RA), CSPTCL, Danganiya, Raipur and to the Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission's office, New Shanti Nagar, Raipur within 21 days of the date of publication of this notice. Advance copies of objections / comments may also be sent to CSPTCL at fax no-0771-2574698 and to CSERC at fax no-0771-4073553. The Commission may give a chance to the persons filing the objections / suggestions to participate in hearing. date and place of hearing shall be published by CSERC in the newspaper separately.

**Chief Engineer(C&RA),
CSPTCL, Raipur**

SAVE ELECTRICITY

Size 12X3

Approved

[Signature]
19.01.22
Superintending Engineer
O/o Chief Engineer (C&RA)
CSPTCL, Raipur

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित, रायपुर
(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम) (छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की एक उत्तरवर्ती कंपनी)

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धान्तों के अनुरूप टैरिफ के निर्धारण और टैरिफ एवं प्रमारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्य प्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2021 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2024-25 तक की अवधि के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के अनुमोदन हेतु याचिका (क्रमांक 05 का 2022) छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है जिसके अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित द्वारा पूंजीगत मद में प्रत्येक वर्ष निवेश की जाने वाली अनुमानित राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विवरण	स्कीम प्रोविजन	वित्तीय वर्ष 22	वित्तीय वर्ष 23	वित्तीय वर्ष 24	वित्तीय वर्ष 25
1	Spill Over work	2873.79	228.70	897.48	654.52	145.90
2	New ND work	3805.94	2.00	963.50	1674.43	1096.71
3	कुल योग C.A.	6679.73	230.70	1860.98	2328.95	1242.61

उपरोक्त याचिका की प्रतियाँ छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय एवं मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर. ए.) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि., रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध है, जिन्हें रुपये 150/- के भुगतान कर किसी कार्यालयीन दिवस पर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त भुगतान के साथ डाक व्यय हेतु रुपये 50/- के अतिरिक्त भुगतान पर उक्त कार्यालयों से डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। इसका अवलोकन वेबसाइट www.cspc.co.in एवं www.cserc.gov.in पर भी किया जा सकता है।

संबंधित पक्षकारों से कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान के संदर्भ में आपत्तियों/ सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं। आपत्ति/सुझाव उक्त कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लान की आम सूचना जारी होने के 21 दिन के भीतर मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर. ए.) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि., रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर के कार्यालय में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। आपत्ति / सुझाव मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर. ए.) छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि., रायपुर के फ़ैक्स क्रं. 0771-2574698 एवं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के फ़ैक्स क्रं. 0771-4073553 पर भी भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग उक्त आपत्ति / सुझाव दर्ज कराने वाले व्यक्ति/संस्था को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जायेगी।

मुख्य अभियंता (सी. एण्ड आर. ए.)
छ.ग.स्टे.पॉ.ट्रांस.कं.लि., रायपुर

“स्वहित एवं राष्ट्र हित में ऊर्जा बचायें।”

Size 12X3

Approved

[Signature]
19.01.22
Superintending Engineer,
O/o Chief Engineer (C&RA)
CSPTCL, Raipur